

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	<p style="text-align: center;">न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर अपील संख्या- 24/2012 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट (GCMS No. 2012/00018)</p> <p>अनवान:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किशन भारती पुत्र सूरज भारती जाति गुसाई निवासी मलकीसर छोटा तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर। <p style="text-align: center;">बनाम</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. द्वारकाप्रसाद पुत्र चूनाराम जाति ब्राह्मण साकिन कपूरीसर तहसील लूनकरणसर। 2. भागीरथ पुत्र चूनाराम जाति ब्राह्मण साकिन कपूरीसर तहसील लूनकरणसर वगैरह। <p>16/4/25 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्ट को रेस्पोंडेंट संख्या 2, 5 ता 7, 12 ता 17, 19, 21 व 22 के निमित्त सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 10.09.2012 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट को बार-बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(2) के तहत अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(डॉ. रवि कुमार सुरपुर) संभागीय आयुक्त, बीकानेर</p>	